न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 219 / 2022

श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम पोस्ट नांगल, वार्ड नं0 10, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333307
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।
— —
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 14.07.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 219 / 2022 पर दिनांक 22.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2796--97 दिनांक 22.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 744 दिनांक 03.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 23.06.2022 को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सचना नही मिलना जाहिर किया व सूचना दिलाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 744 दिनांक 03.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 23.06.2022 को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि तहसीलदार नवलगढ द्वारा पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 744 दिनांक 03.07.2022 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना मे बिन्दू सं0 1 की सूचना के क्रम मे अपीलार्थी को सही जबाव भिजवाया गया है परन्तु बिन्दू सं0 2 व 3 की सूचना अपीलार्थी को दी जा सकती थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। लोक सयूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि न्यायालय तहसीलदार नवलगढ मे संधारित दायरा पंजिका के अनुसार अतिक्रमियों की सूचना एवं उनके द्वारा किये गये अतिक्रमित रकबे की सूचना सहित कुल अतिक्रमित रकबे की सूचना अपीलार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं